निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 111/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
मुक्तिलाल पुत्र श्री नाथूराम यादव निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर पीठासीन अधिकारी श्री मनमोहन मीणा आर ए एस
2. रामचन्द्र पुत्र गणेश
3. रामनिवास पुत्र कालूराम
4. साधू पुत्र झूंथा
5. सुल्तान पुत्र झूंथा
6. बाबूलाल पुत्र धीसा

समस्त जाति गुर्जर निवासी नायन तहसील, शहपुरा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर वाद संख्या 9/2020 ब उनवानी रामचन्द्र बनाम मुक्तिलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री वंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सीताराम जाट अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.09.2021

जिला कलक्टर जयपुर

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने एक वाद 9/2020 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ब उनवानी रामचन्द्र बनाम मुक्ति लाल पेश सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष पेश किया है जो विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 की ओर से वकील श्री सीताराम जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण दिनांक 15.01.2019 को पेश किया गया तथा दिनांक 01.03.2019 को प्रार्थी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया उसके पश्चात पत्रावली अन्य की तामील हेतु नियत की गई। दिनांक 19.03.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 20.07.2021 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को यह धमकी दी गई कि मै आपका जबाब दावा बंद कर प्रकरण का अन्तिन रूप से निस्तारण कर दूंगा। जबकि राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक प्रकिया के तहत प्रकरणो की अन्तिम सुनवाई पर दिनांक 27.07.2021 तक कोविड के कारण रोक लगा रखी है। दिनांक 20.07.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा यह भी ऐलानिया धमकी दी गई कि साहब से हमारी बात हो गई तथा अगली तारीख पेशी पर मेरे पक्ष में निर्णय आ जायेगा। अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर अप्रार्थी संख्या 1 बिना विधिक प्रकिया अपनाये वाद का बिना विधि सम्मत सुनवाई के शीघ्र निस्तारण हेतु छोटी-छोटी तारीखें दी जा रही है तथा जो भी प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत किये जाते है। उनमें बिना समुचित सुनवाई आदेश दिये जा रहे है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का व्यवहार न्यायिक तौर पर ठीक नहीं रहा तथा ऐसा लग रहा था कि वो अप्रार्थी संख्या 2 के प्रकरण में जल्दबाजी करते हुये प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णय प्रार्थी के पक्ष में करने में असमर्थ है। कोविन्द-19 महामारी के कारण राज्य सरकार व बार एसोसियेशन के निर्देशानुसार भी प्रकरणों में सुनवाई स्थिगित कर रखी है। उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी विचाराधीन प्रकरण में विशेष रूची रखते हुये प्रकरण में छोटी छोटी तारीख पेशियां नियत कर रहे है और प्रकरण को निस्तारण करने पर आमादा है। न्याय की यही मंशा है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हुये प्रार्थी को ऐसा प्रतीत भी होना आवश्यक है कि उसे न्याय प्राप्त होगा। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णयों में यही प्रतिपादित किया है कि जब परिवादी को न्याय प्राप्त नही होने की आशंका हो तो ऐसी स्थिति मे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी की उक्त पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का येनकेन प्रकारेण निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है इसी मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने के योग्य है फिर भी यदि प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तिकिल किया जाता है तो तारीख नियत की जाकर अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) शाहपुरा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नही हुई। जिससे प्रार्थी के कथन को बल मिलता है। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 09/2020 व उनवानी रामचन्द्र बनाम मुक्तिलाल व अन्य मय स्थगन प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी विराटनगर में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) शाहपुरा एवं उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **09.09.2021** को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर

9/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर